संख्या-31/2019/2578/41-2018-70(यो0)/2014

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 04 फरवरी 2019

विषय- जनपद हापुड़ में ब्रजघाट (गढ़मुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दांये किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के निर्माण की प्रायोजना के अग्रतर कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2660/6-1-1(518)/2017, दिनांक 31 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद हापुड़ में ब्रजघाट (गढ़मुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के निर्माण की प्रायोजना हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-82/2015/3240/41-2015-70 यो0/2014 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा रू0 2545.89 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदन्तर प्रायोजना के अग्रतर कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-21/2016/205/41-2016-70 यो0/2014 दिनांक 29 फरवरी, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-98/2016/1351/41-2016-70 यो0/2014 दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही शासनादेश संख्या-18/2017/235/41-2017-70 यो0/2014 दिनांक 28 मार्च, 2017 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-19/2018/627/41-2018-70 यो0/2014 दिनांक 13 मार्च, 2018 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद हापुड़ में ब्रजघाट (गढ़मुक्तेश्वर) पर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित पुराने घाट का विस्तार एवं नये घाट के निर्माण की प्रायोजना के अग्रतर कार्य हेतु छठी किश्त के रूप में रू० 50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु छठी किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रस्तर-2 में अंकित शासनादेशों द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि का पूर्ण उपयोग निर्धारित शर्तों व प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन करते हुए कर लिया गया है।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/ 2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत प्रायोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VI**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।

(10) प्रायोजना के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार देय होगी तथा प्रायोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जी0एस0टी0 के वास्तविक भुगतान की सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

(11) प्रायोजना हेतु छठी किश्त की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक] पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक पर्यटन का होगा। प्रायोजना की अन्तिम धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब द्वितीय किश्त की अवमुक्त की जा रही धनराशि का 75 प्रतिशत का उपभोग कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट धार्मिक स्थल का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-31/2019/2578(1)/41-2018-70(यो0)/2014 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मण्डलायुक्त, मेरठ/जिलाधिकारी, हापुड़।
5- मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ।
6- विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।